प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 25 अगस्त, 2020

विषय: राजकीय हेलीकॉप्टर बेल 412 के सिमुलेटर पर नागरिक उड्डयन निदेशालय के पायलटगण को मेसर्स हैट्सऑफ हेलीकाप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बंगलूरू में सिमुलेटर पर क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग तथा इन्स्ट्रूमेन्ट फ्लाईंग ट्रेनिंग कराये जाने हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-171/ना0उ0नि0/आप्स-17/2020, दिनांक 15 जुलाई, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- शासनादेश संख्या: 40/2020/1017/छप्पन-2020-40/2017 दिनांक 08 जुलाई, 2020 द्वारा नागरिक उड्डयन निदेशालय के 07 पायलटगण यथा कै0 सुनील कौरा को दिनांक 19 जुलाई, 2020 से 22 जुलाई, 2020 तक, कै0 दीपक श्रीवास्तव को दिनांक 23 अगस्त, 2020 से 25 अगस्त, 2020 तक, कै0 ए0के0 भूटानी को दिनांक 23 सितम्बर, 2020 से 25 सितम्बर, 2020 तक , कै0 एस0के0 गिरि को दिनांक 23 नवम्बर, 2020 से 25 नवम्बर, 2020 तक, कै0 अनूप सिंह को दिनांक 23 नवम्बर, 2020 से 25 नवम्बर, 2020 तक, कै0 दिनेश श्रीवास्तव को दिनांक 23 जनवरी, 2021 से 25 जनवरी, 2021 तक एवं कै0 जी0एस0 पड्डा को दिनांक 23 फरवरी, 2021 से 25 फरवरी, 2021 तक (03 प्रशिक्षण दिवस तथा 02 यात्रा दिवस अतिरिक्त) बेल-412 हैलीकाप्टर के सिमुलेटर पर मेसर्स हैट्स ऑफ हैलीकाप्टर ट्रेनिंग प्रा0 लि0, बैंगलोर के सिमुलेटर पर इन्स्ट्रूमेन्ट फ्लाईंग तथा क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने हेतु प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 41,30,000/- (रूपए इकतालीस लाख तीस हजार मात्र) (रू0 5,90,000/-प्रति पायलट की दर से 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सम्मिलित करते हुए) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा यात्रा व्यय यथा समय टी0ए0/डी0ए0 बिल सम्बन्धित पायलट द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

3- आपके उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि डी0जी0सी0ए0, भारत सरकार, नई दिल्ली के आपरेशन सर्क्युलर 02 ऑफ 2020 रिविजन-3 दिनांक 08 जुलाई, 2020 द्वारा समस्त रिकरेन्ट की वैद्यता दिनांक 30 सितम्बर, 2020 तक बढ़ायी जाने के साथ रिकरेन्ट ट्रेनिंग हेलीकाप्टर पर पूर्ण किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। उक्त के क्रम में सम्प्रति कै0 सुनील कौरा, कै0 दीपक श्रीवास्तव तथा

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

कै0 ए0के0 भूटानी, पायलट(रोटर विंग) की बेल-412 हेलीकाप्टर की रिकरेन्ट ट्रेनिंग डी0जी0सी0ए0, भारत सरकार के आपरेशन सर्क्युलर दिनांक 08 जुलाई, 2020 में निहित्त प्राविधानों के अनुसार नागरिक उड्डयन निदेशालय के हेलीकाप्टर पर सम्पादित कराई जा सकती है।

4- अत: श्री राज्यपाल नागरिक उड्डयन निदेशालय के 07 पायलटगण यथा कै0 सुनील कौरा को दिनांक 19 जुलाई, 2020 से 22 जुलाई, 2020 तक, कै0 दीपक श्रीवास्तव को दिनांक 23 अगस्त, 2020 से 25 अगस्त, 2020 तक, कै0 ए0के0 भूटानी को दिनांक 23 सितम्बर, 2020 से 25 सितम्बर, 2020 तक, कै0 एस0के0 गिरि को दिनांक 23 नवम्बर, 2020 से 25 नवम्बर, 2020 तक , कै0 अनूप सिंह को दिनांक 23 नवम्बर, 2020 से 25 नवम्बर, 2020 तक, कै0 दिनेश श्रीवास्तव को दिनांक 23 जनवरी, 2021 से 25 जनवरी, 2021 तक एवं कै0 जी0एस0 पड्डा को दिनांक 23 फरवरी, 2021 से 25 फरवरी, 2021 तक (03 प्रशिक्षण दिवस तथा 02 यात्रा दिवस अतिरिक्त) बेल-412 हैलीकाप्टर के सिमुलेटर पर मेसर्स हैट्स ऑफ हैलीकाप्टर ट्रेनिंग प्रा0 लि0, बैंगलोर के सिमुलेटर पर इन्स्ट्रूमेन्ट फ्लाईंग तथा क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने हेतु प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 41,30,000/- (रूपए इकतालीस लाख तीस हजार मात्र) (रू0 5,90,000/-प्रति पायलट की दर से 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सम्मिलित करते हुए) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा यात्रा व्यय यथा समय टी0ए0/डी0ए0 बिल सम्बन्धित पायलट द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर भुगतान करने की स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या: 40/2020/1017/छप्पन-2020-40/2017 दिनांक 08 जुलाई, 2020 द्वारा स्वीकृत वित्तीय स्वीकृति को संशोधित करते हुए उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि में से कै0 सुनील कौरा, कै0 दीपक श्रीवास्तव तथा कै0 ए0के0भूटानी, पायलट (रोटर विंग) के प्रशिक्षण शुल्क रू0 17,70,000/- (रूपए सत्रह लाख सत्तर हजार मात्र) को घटाने के पश्चात् प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 23,60,000/- (रूपए तेईस लाख साठ हजार मात्र) की पुनरीक्षित वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति तथा अवशेष धनराशि रू0 17,70,000/- (रूपए सत्रह लाख सत्तर हजार मात्र) को राजकोष में जमा किए जाने की स्वीकृति तथा कै0 सुनील कौरा, कै0 दीपक श्रीवास्तव तथा कै0 ए0के0भूटानी, पायलट(रोटर विंग) की बेल-412 हेलीकाप्टर की रिकरेन्ट ट्रेनिंग डी0जी0सी0ए0, भारत सरकार के आपरेशन सर्क्युलर दिनांक 08 जुलाई, 2020 में निहित्त प्राविधानों के अनुसार नागरिक उड्डयन निदेशालय के हेलीकाप्टर पर सम्पादित कराए जाने की प्रशासकीय स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान करते हैं।

5- उक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या: 40/2020/1017/छप्पन-2020-40/2017 दिनांक 08 जुलाई, 2020 में उल्लिखित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : ई-7-837/दस-2020 दिनांक: 25 अगस्त, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सुरेन्द्र सिंह
विशेष सचिव

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-51/2020/1222(1)/छप्पन-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य), अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-7
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित पायलटगण।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।